न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या—518 / 2026
ताराबाड़ी थानाकांड संख्या—75 / 26

अनिता देवी एवं 02 अन्य ——————————आवेदकगण।
बनाम
बिहार राज्य

वास्ते आवेदकगण :— श्री प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :— श्री रघुनाथ विश्वास, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

31.08.2026 दिनांक 11.05.2026 से काराधीन आवेदकगण 1. अनिता देवी, पति— बिनोद पासवान 2. काजल देवी, पिता—बिनोद पासवान, 3. बिष्णु राठौर उर्फ बिष्णु यादव, पिता—बिनोद पासवान साकिन—ग्राम—पैरवाखुरी, वार्ड नं0 07, थाना—ताराबाड़ी, जिला—अररिया, की ओर से ताराबाडी थानाकांड संख्या—75 / 26 अन्तर्गत धारा—103(1), 3(5) बी.एन.एस के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, दिनांक 10.05.2026 को सूचक बिनोद प्रसाद सिंह के पुत्र शंकर सिंह को गले में दुपट्टा बांधकर असामीगण फांसी से लटका कर हत्या कर दिया। सुचक के पुत्र शंकर सिंह दिनांक 05.05.2026 को अपनी पत्नी काजल देवी का विदागिरी लेने अपने ससुराल पैरवाखुरी गया था लेकिन कई दिनों तक वापस नहीं लौटने पर जब शंकर सिंह के बड़े भाई ने उसके ससुराल फोन किया तो शंकर सिंह की सास ने उसके नशे में होने की बात कही। इसके बाद जब शंकर सिंह के पिता और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो शंकर का शव घर में चौकी पर रखा मिला और पुलिस मौजुद थी। शंकर सिंह का शादी अंतरजातीय था।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं, और उन पर लगाए गए आरोप झुठे और मनगढ़ंत हैं। इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना हीं इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते समय घटनास्थल पर कोई रस्सी या दुपट्टा मिला था। मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदि था और उसकी मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन से हुई है, सुचक ने हत्या और फांसी लटकाने की झुठी कहानी गढ़ी है। आवेदकगण दिनांक 11.05.2026 से न्यायिक हिरासत में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

लगातार

लगातार

जमानत आवेदन पत्र संख्या–518/2026

31.08.2026 उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं, जिनपर प्राथमिकी के अनुसार शंकर सिंह की हत्या करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा 03 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट संलग्न है। कांड दैनिकी के पैरा 06 में साक्षी बमबम सिंह का बयान, पैरा 07 में साक्षी अमर कुमार सिंह का बयान, पैरा 11 में वादी का पुनः बयान, पैरा 12 में साक्षी राधा देवी का बयान, वर्णित है जो प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण समर्थन करते हैं। कांड दैनिकी के पैरा 24 में पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्णित है जिसमें मृत्यु का कारण death is our opinion is due to Asphyxia as a result of Strangulation वर्णित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान अभी जारी है।

अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. अनिता देवी, पति– बिनोद पासवान 2. काजल देवी, पिता–बिनोद पासवान, 3. बिष्णु राठौर उर्फ बिष्णु यादव, पिता–बिनोद पासवान को जमानत की सुविधा प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 25.06.2026 **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
I/C जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।